

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

(मध्यप्रदेश का तकनीकी विश्वविद्यालय)

एयरपोर्ट रोड, गांधीनगर, भोपाल (म.प्र.)-४६२०३३

फोन : ०७५५-२७३४६९३, २६७८८६७

फैक्स : ०७५५-२७४२००६

ईपीएबीएस : ०७५५-२६७८८६९, २६७८८८९

ईमेल : registrarrgpv@gmail.com, ooregistrar@rgpv.ac.in

वेबसाइट : www.rgpv.ac.in

RAJIV GANDHI PROUDYOGIKI VISHWAVIDYALAYA

(State Technological University of Madhya Pradesh)

Airport Road, Gandhi Nagar, Bhopal (M.P.) - 462033

Phone : 0755 - 2734913, 2678897

Fax : 0755 - 2742006

EPABX: 0755 - 2678891, 2678881

mail : registrarrgpv@gmail.com, ooregistrar@rgpv.ac.in

Website : www.rgpv.ac.in



क्रमांक:एफ-5/शैक्षणिक/रागाप्रौवि/2023/2730

दिनांक: 24/5/2023

अधिसूचना

विश्वविद्यालय की विद्वत् परिषद की बैठक दिनांक 13 मार्च, 2023 में की गई अनुशंसा एवं कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 15 मार्च, 2023 में प्रदान किये गये अनुमोदन के अनुसार विश्वविद्यालय के परिनियम क्रमांक 21 में उल्लेखित अनापत्ति शुल्क के अतिरिक्त निम्न नवीन मदों में विश्वविद्यालय से अनापत्ति प्राप्त करने हेतु निम्नानुसार शुल्क निर्धारित किया गया:-

सरल क्रमांक	नवीन मद	राशि का विवरण
1	संस्था का नाम परिवर्तन	परिवर्तन के लिये नये सिर से नई संस्था मानकर अनापत्ति प्रदान करने के लिए ली जाने वाली संबद्धता शुल्क राशि के समान प्रति संस्था प्रति ब्रांच अध्यादेश -21 में निहित प्रावधानानुसार संपूर्ण संबद्धता शुल्क की राशि।
2	समिति का नाम परिवर्तन	परिवर्तन के लिये नये सिर से नई संस्था मानकर अनापत्ति प्रदान करने के लिए ली जाने वाली संबद्धता शुल्क राशि के समान प्रति संस्था प्रति ब्रांच अध्यादेश -21 में निहित प्रावधानानुसार संपूर्ण संबद्धता शुल्क की राशि।
3	पाठ्यक्रम का नाम परिवर्तन	परिवर्तन के लिये नये सिर से नई ब्रांच मानकर अनापत्ति प्रदान करने के लिए ली जाने वाली संबद्धता शुल्क राशि के समान प्रति ब्रांच अध्यादेश -21 में निहित प्रावधानानुसार प्रति ब्रांच की संबद्धता शुल्क की राशि।
4	पाठ्यक्रम का विलय	परिवर्तन के लिये नये सिर से नई ब्रांच मानकर अनापत्ति प्रदान करने के लिए ली जाने वाली संबद्धता शुल्क राशि के समान प्रति ब्रांच अध्यादेश -21 में निहित प्रावधानानुसार प्रति ब्रांच की राशि।
5	निजी विश्वविद्यालय की घटक संस्था बनाये जाने के लिए अनापत्ति का शुल्क	अध्यादेश -21 में निहित प्रावधानानुसार प्रति संस्था संबद्धता शुल्क के समान ही असम्बद्ध शुल्क संपूर्ण संबद्धता शुल्क की राशि।

यह निर्णय उपरोक्तानुसार लागू किया जाता है।

कुलसचिव

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
भोपाल।

पृष्ठांकन क्रमांक:एफ-5/शैक्षणिक/रागाप्रौवि/2023/2731

दिनांक: 24/5/2023

प्रतिलिपि

01. निज सचिव माननीय कुलपति जी, रा.गा.प्रौ.वि., भोपाल, कृपया कुलपति जी को अवगत कराना चाहें।
02. निज सचिव कुलसचिव महोदय जी रा.गा.प्रौ.वि., भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. रा.गा.प्रौ.वि, भोपाल से संबद्ध समस्त महाविद्यालय।

कुलसचिव

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
भोपाल।